सप्तदश बिहार विधान सभा

द्वितीय सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-16.03.2021 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री आनन्द शंकर सिंह, स०वि०स० श्री अजीत शर्मा, स०वि०स० श्री छत्रपति यादव, स०वि०स० श्री शकील अहमद खाँ, स०वि०स० श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी, स०वि०स० श्री इजहारुल हुसैन, स०वि०स०	"बिहार अधिनियम-3, 1992 द्वारा राज्य के सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण लागू किया गया है जिसके लिए रोस्टर भी निर्धारित है । संकल्प संख्या-963, दिनांक-20.01.2016 द्वारा सरकारी सेवाओं में दिये गये 35% क्षैतिज आरक्षण में 17.5% सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए तथा 17.5% आरक्षित वर्ग की महिलाओं के लिये प्रावधान है । आरक्षित वर्ग की महिलाओं के लिए जो आरक्षण है वह बिहार राज्य की महिलाओं तक सीमित है परंतु सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए जो आरक्षण निर्धारित है वह पूरे देश की महिलाओं के लिए ओपेन है । इस कारण सामान्य वर्ग की महिलाओं की भागीदारी राज्य की सेवाओं में समुचित रूप से नहीं हो पा रही है और अन्य राज्य की महिलायें बिहार राज्य की विभिन्न सेवाओं में चयनित हो रही है । अत: सामान्य वर्ग की महिलाओं के साथ हो रहे भेदभाव को समाप्त करने हेतु सामान्य वर्ग की महिलाओं के आरक्षण को बिहार की महिलाओं तक सीमित किये जाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।"	सामान्य प्रशासन

2. श्री राज कुमार सिंह, स०वि०स०
श्री पवन कुमार जायसवाल, स०वि०स०
श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव, स०वि०स०
श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता, स०वि०स०
श्री मोती लाल प्रसाद, स०वि०स०
श्री विद्या सागर केशरी, स०वि०स०
श्री अशोक कुमार चौधरी, स०वि०स०
श्री अनिल कुमार, स०वि०स०
श्री मिथिलेश कुमार, स०वि०स०
श्री पवन कुमार यादव, स०वि०स०
श्री देवेश कान्त सिंह, स०वि०स०
श्री मोहम्मद अनजार नईमी, स०वि०स०
श्री मुहम्मद इजहार असफी, स०वि०स०

शिक्षा

''समग्र शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत वर्ष 2018-19 से राज्य के सभी प्राथमिक, मध्य, बुनियादी, मान्यता प्राप्त संस्कृत एवं मध्य विद्यालयों, माध्यमिक / उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के विकास हेतु विद्यालय अनुदान (कम्पोजिट) के रूप में छात्रों के नामांकन को आधार मानते हुए 1 से 15 छात्र पर 12,500 रु०, 16 से 100 छात्र पर 25,000 रु०, 101 से 250 छात्र पर 50,000 रु०, 251 से 1000 छात्र पर 75,000 रु०, 1001 से अधिक छात्र पर 1,00,000 रु० विद्यालय शिक्षा समितियों / विद्यालय प्रबंध समितियों के खाता में विमुक्त करने का प्रावधान है परन्तु राज्य के किसी भी विद्यालय में उक्त राशि नहीं भेजी गयी है जिस कारण विद्यालयों का विकास प्रभावित हो रहा है ।

अतएव राज्य के सभी विद्यालयों के लिए ''समग्र शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत'' अनुदान (कम्पोजिट) की वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक की राशि सभी विद्यालय शिक्षा समितियों / विद्यालय प्रबंध समितियों के खाता में भेजने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।''

राज कुमार सिंह
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-16/2021- 1269 / वि०स०, पटना, दिनांक- 15 मार्च, 2021 ई० ।

प्रति:-बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्रिगण / माननीय मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय, पटना / संसदीय कार्य विभाग / सामान्य प्रशासन विभाग एवं शिक्षा विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

15/3/21
(पांडव कुमार सिंह)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-16/2021-1269 / वि०स०, पटना, दिनांक- 15 मार्च, 2021 ई० ।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं प्रधान आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमश: माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

15/3/21
(पांडव कुमार सिंह)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।
15/3/21